न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 70 / 2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 26.07.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 180

नराराम पुत्र श्री दलाराम, उम्र—35 वर्ष, जाति प्रजापत, निवासी फतेहनगर, ईसरू (सुआप) तहसील फलोदी जिला जोधपुर

वादी

बनाम

1. ईश्वरसिंह पुत्र श्री दुरजनसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
2. ओम कंवर पत्नि श्री नरपत सिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
3. कान सिंह पुत्र श्री रतनसिंह फौत होने से उनके कायम मुकाम :—
   - 3.1 ओम कंवर पुत्री श्री कानसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
   - 3.2 कमलाकंवर पुत्री श्री कानसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
   - 3.3 गोदकंवर पत्नि श्री कानसिहं, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
   - 3.4 जबरसिंह पुत्र श्री कानसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
   - 3.5 रघुवीरसिंह पुत्र श्री कानसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
4. दरियावकंवर पुत्री दुरजनसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
5. नेपालसिंह पुत्र श्री दुरजनसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
6. नारायणसिंह पुत्र श्री दुरजनसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
7. पुरणसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह नाबालिक की कुदरती वली माता ओमकंवर
8. मोहनसिंह पुत्र श्री रतनसिंह , उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
9. सुमनकंवर पुत्री श्री नरपतसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
10. हिम्मतसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली, तहसील रायपुर जिला पाली राज.
11. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर जिला पाली राज.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण
2 श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 08.11.2023

वादी की ओर से वादी अधिवक्ता श्री जसंवत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा बली खसरा सं. 117 / 3 रक्बा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नं. 118 / 1 रक्बा 0.1295 हैक्टेयर, भुमि प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 10 के नाम शामलाती खातेदारी कृषि भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा सवत् 2076—2079 की जमाबंदी, प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 10 के द्वारा किया गया रजिस्टर्ड बेचाननामा की फोटो प्रति वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भुमि आई हुई है। उक्त भुमि सरहद मौजा बली खसरा सं. 117 / 3 रक्बा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नं. 118 / 1 रक्बा 0.1295 हैक्टेयर मे प्रतिवादीगण की शामालती खातेदारी भुमि आई हुई हैं एवं उनका हक हिस्सा बनाता है। जिसमे प्रतिवादीगण को रूप्यो कि आवश्यकता होने से उक्त भुमि का बेचान मुझ वादी को जरिये रजिस्ट्री दिंनाक 22 / 07 / 2021 को बेचान कर दिया जो उपपंजीयन कार्यालय रायपुर के यहां पुस्तक सं. 1 के जिल्द सं. 320 मे पृष्ट सं. 159 क्रम सं. 202103073101346 पर पंजीबद्व है जिसकी फौटो प्रति संलग्न है। वादी ने पजीकृत दस्तावेज बेचाननामा की एक फोटो प्रतिलिपि तत्कलीन पटवारी महोदय को दी एवं यह सद्विश्वास में रहे की पटवारी महोदय ने उस बेचान नामा का नामान्तरण भर दिया होगा। एवं वादी ने अपने काम काज मे वयस्त रहने से कभी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन नही किया। जिस कारण उसे यह ज्ञात हो की उसके बेचाननामा का नामान्तरण नहीं हुआ है। जबकि खरीद दिंनाक से आज तक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादी का ही कब्जा काश्त है। तथा दिंनाक 19/11/2021 को बेचानकर्ता कानसिंह पुत्र श्री रतनसिंह का देहान्त हो गया एवं उनके परिवारजन ने विवादित खाते मे अन्य खसरा नम्बरान ओर होने से उसमे उनका फौतेदगी नामान्तरण भरवाने हेतु दस्तावेज दिये जिस पर हल्का पटवारी द्वारा सम्पुर्ण खसरों पर नामान्तरण सं. 297 भरा जाकर दिंनाक 21/06/2023 को स्वीकृत करवा दिया एवं कानसिंह पुत्र रतनसिंह के स्थान पर उनके विधिक वारिशानों के नाम दर्ज हो गये। वर्तमान मे वादी ने दिंनाक 11/07/2023 को भारत सरकार से मिलने वाली 6,000/– प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ लेने कि आवश्यकता होने पर ईमित्र से जमाबन्दी निकलवाई तब वादी का नाम दर्ज नही होने पर वो हल्का पटवारी के पास गया एवं हल्का पटवारी के द्वारा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान जमाबन्दी मे वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादी ने जमाबन्दी की नकल एवं पंजीकृत दस्तावेत लेकर वर्तमान पटवारी महोदय के पास जाने पर हल्का पटवारी ने बेचाननामा मे बेचानकर्ता एवं वर्तमान जमाबन्दी मे खोतदार मे परिवर्तन होने से वादी के नाम नामान्तरण भरने से मना कर दिया एवं उक्त रजिस्ट्री के नामान्तरण करवाने हेतु न्यायलय मे वाद कर आदेश करवाकर लाने की सलाह दी। जिस कारण उक्त वाद बमुकाम रायपुर पटवार हल्का रायपुर प्रथम, तहसील–रायपुर, जिला–पाली में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने के वाद अन्दर मियाद पेश है। इसलिये पजीकृत दस्तावेज का नामान्तरण करवाने हेतु श्री मान के सम्मुख वाद करने की आवश्यता उत्पन्न हुई। वादी के द्वारा खरीद भुमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है, इसलिये यह वाद माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया जा रहा है।वादी अपने हक हिस्से पर मोके पर काबिज है, तथा अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करती आ रही है, तथा वादी ने अपने हक हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाया है अगर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम इन्द्राज नहीं किया जाता है तो वादी को बैंक से ऋण लेने व सरकार से मिलने वाले कृषि भुमि के फायदे नहीं हो पायेगे जिससें वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा व वादी को अपने हक अधिकार से वंचित होना पडेगा। वादी के पास न्यायलय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से वादी अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह वाद राजस्व रेकर्ड में पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार अपना नाम दर्ज करवाकर अपने नाम की वादग्रस्त भुमि मे खातेदार की घोषणा करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रहा हैं। वाद पर निर्धारित न्याय शुल्क पेश है। वाद पत्र के साथ द्वितिय प्रति एवं शपथ पत्र भी पेश है जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 व 4 से लगायत 10 से तथा प्रतिवादी सं. 3 के फौत होने पर उनके वारिशानों से अनुतोष चाहने के कारण व प्रतिवादी सं0 11 भु स्वामी होने से प्रतिवादी बनाया गया है। शेष सहखातेदार से कोई अनुतोष नही चाहने से उन्हे पक्षकार नही बनाया है। उक्त प्रकरण प्रतिवादी नंबर 11 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवष्यक है किंतु मौजूदा वाद एक आवष्यक प्रकृति का वाद है जिसमें यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर इंतजार किये जाने से मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा अतः नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद के पद संख्या–1 में वर्णित सरहद मौजा बली खसरा सं. 117/3 रक्बा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नं. 118/1 रक्बा 0.1295 हैक्टेयर, मे दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 10 द्वारा अपनी सम्पुर्ण भुमि का बेचान वादी को करने से बेचान नामा के अनुसार विवादित भुमि मे प्रतिवादी के स्थान पर वादी को विवादित भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। वादी को राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी सं. 11 को आदेशित किया जावे कि वो वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करे। विवादित भुमि मे वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे परेशानी नही करे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो वादग्रस्त आराजी मे वादी के काबिज हिस्से मे दखलंदाजी प्रतिवादीगण स्वयं, नोकर चाकर, हाली, एजैन्ट ना करें। ना ही कराये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिल **सुदा प्राप्त हुआ हैं। प्रतिवादीगण** की ओर अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं। **प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने** प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 09 **नियम 07 सीपीसी एवं वकालतनामा** मय जबावदावा पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न हों। प्रार्थना पत्र पर **कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 09** नियम 07 सीपीसी का स्वीकार किया गया हैं एवं **प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही** को अपास्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का जबाव

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

कॉर्ड पर लिया जाता हैं। प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावा में वादी द्वारा चाही गई इस्तेदुआ स्वीकार करने में अपनी सहमति दी हैं।

उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस एवं जबावदावा तथा पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा बली पटवार हल्का रायपुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा सं. 117/3 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नं. 118/1 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, मे दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 10 द्वारा अपनी सम्पुर्ण भूमि का बेचान वादी को करने से बेचान नामा के अनुसार विवादित भुमि मे प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

वादी का वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बली पटवार हल्का रायपुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा सं. 117/3 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नं. 118/1 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, मे दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 10 द्वारा अपनी सम्पुर्ण भूमि का बेचान वादी को करने से बेचान नामा रजिस्ट्री दिंनाक 22/07/2021 को बेचान कर दिया जो उपपंजीयन कार्यालय रायपुर के यहां पुस्तक सं. 1 के जिल्द सं. 320 मे पृष्ट सं. 159 क्रम सं. 202103073101346 पर पंजीबद्व है जिसके अनुसार विवादित भुमि मे प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिकी पर्चा जारी हों। निर्णय की प्रति, पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर , रायपुर

नराराम पुत्र श्री दलाराम, उम्र–35 वर्ष, जाति प्रजापत, निवासी फतेहनगर, ईसरू (सुआप) तहसील फलोदी जिला जोधपुर

वादी

बनाम

1. ईश्वरसिंह पुत्र श्री दुरजनसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
2. ओम कंवर पत्नि श्री नरपत सिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
3. कान सिंह पुत्र श्री रतनसिंह फौत होने से उनके कायम मुकाम :–
   - 3.1 ओम कंवर पुत्री श्री कानसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
   - 3.2 कमलाकंवर पुत्री श्री कानसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
   - 3.3 गोदकंवर पत्नि श्री कानसिहं, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
   - 3.4 जबरसिंह पुत्र श्री कानसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
   - 3.5 रघुवीरसिंह पुत्र श्री कानसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
4. दरियावकंवर पुत्री दुरजनसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
5. नेपालसिंह पुत्र श्री दुरजनसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
6. नारायणसिंह पुत्र श्री दुरजनसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
7. पुरणसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह नाबालिक की कुदरती वली माता ओमकंवर
8. मोहनसिंह पुत्र श्री रतनसिंह , उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
9. सुमनकंवर पुत्री श्री नरपतसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली,
10. हिम्मतसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत निवासी बली, तहसील रायपुर जिला पाली राज.
11. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर जिला पाली राज.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद 70/2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री भूपैन्द्र सैन प्रतिवादीगण उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर जाकर सरहद मौजा बली पटवार हल्का रायपुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा सं. 117/3 रकबा 0. 7770 हैक्टेयर, खसरा नं. 118/1 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, मे दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 10 द्वारा अपनी सम्पुर्ण भूमि का बेचान वादी को करने से बेचान नामा रजिस्ट्री दिंनाक 22/07/2021 को बेचान कर दिया जो उपपंजीयन कार्यालय रायपुर के यहां पुस्तक सं. 1 के जिल्द सं. 320 मे पृष्ट सं. 159 क्रम सं. 202103073101346 पर पंजीबद्व है जिसके अनुसार विवादित भुमि मे प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... नीज........................×..................मुबलिक.................×...............बाबत्.............×.............. ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×............................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.11.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दयलह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	03	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	0	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	02	00	मीजान			
मीजान						02	00
		07	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)